

# उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, बोकारो।

(राजस्व शाखा)

पत्रांक ...../रा0,

सेवा में,

महालेखाकार, झारखण्ड,  
पोस्ट-हिनु, राँची।

बोकारो, दिनांक ...../19

विषय:- मंत्री परिषद की बैठक दिनांक 04.10.2016 के मद संख्या 02 में लिये गये निर्णय के आलोक में चास में सेप्टेज प्रबंधन योजना STP निर्माण हेतु बोकारो जिला के अंचल चास, ग्राम-बेडानी, थाना नं0-129 खाता नं0-32, प्लॉट नं0-656 रकवा-2.20 एकड़ गैरआबाद मालिक खाते की भूमि है, जिसका किस्म पुरातन पतित को नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को अन्तर्विभागीय निष्पत्क हस्तान्तरण के संबंध में।

आदेश:-स्वीकृत

1. इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि जिस प्रायोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है, उस प्रायोजन हेतु उसकी आवश्यकता नहीं रहने पर अथवा उस प्रायोजन हेतु उसका उपयोग छः माह के अन्दर नहीं किये जाने पर यह भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जायेगी।
2. अन्य सभी शर्त " इस्टेट मैनुअल" में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी।

ह01

उपायुक्त,  
बोकारो।

प्रतिलिपि:- ज्ञापांक ...../रा0, दिनांक ...../2019  
अनुमंडल पदाधिकारी, चास को उनके कार्यालय पत्रांक 93/रा0, दिनांक 01.02.2019 के आलोक में सूचनार्थ एवं आक्षयक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अभिलेख सं0-05/2018-19 मूल रूप में अनुमंडल पदाधिकारी, चास को सीधे वापस किया जा रहा है।

अनुलग्नक:-मूल अभिलेख।

ह01

उपायुक्त,  
बोकारो।

प्रतिलिपि:- ज्ञापांक ...../रा0, दिनांक ...../2019  
आयुक्त के सचिव, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि:- संरकार के संयुक्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि:- सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि:- सरकार के प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आक्षयक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह01

उपायुक्त,  
बोकारो।

प्रतिलिपि:- ज्ञापांक 420/रा0, दिनांक 14/02/2019  
जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं जिला पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह01  
उपायुक्त,  
बोकारो।